

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र
क्लेम पिटीशन संख्या-774 / 1992
राम गोविन्द बनाम एन.टी.पी.सी.

दिनांक-16.10.2021:-पुकारा गया। पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। याची की ओर से प्रार्थना पत्र 28ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अधिग्रहीत भूमि के सर्किल रेट की सूची अभिलेख पर ले ली जावे।

सुना।

इस प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थी के द्वारा विरोध किया गया।

न्यायालय में मत में अधिग्रहीत भूमि के सर्किल रेट की सूची अभिलेख पर लिये जाने से दावा याचिका के निस्तारण में सहायता मिलेगी। अतः प्रार्थना पत्र 28ग स्वीकार होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 28ग स्वीकार किया जाता है। सूची 29ग/1 से प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक-10.11.2021 को प्रस्तुत हो।

जनपद न्यायाधीश,
सोनभद्र।